

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27 $\frac{02}{2024}$ - फावली पेश हुई। अवलोकन किया गया।
बार-बार आवाने लगाई गई। उभय पक्ष
से मोर से कोई दाखिल नहीं बिससे लगाता
है कि उभय पक्ष की बार-पक्ष से कोई खपि
नहीं है मतः बार-पक्ष उभय दाखली एवं
उभय पक्षी में हली स्टेशन पर खारिज
किया जाता है। फावली बिणपि में
शुमार होकर हलब जावना दाखिल
इफ्तार हो।



महाराष्ट्र राज्य न्यायालय
मुंबई न्यायालय
मुंबई न्यायालय

मुंबई न्यायालय
मुंबई न्यायालय



मुंबई न्यायालय
मुंबई न्यायालय